बजट: 2023-24

तालिका 1: बजट एक नजर में

(करोड़ रु. में)

	मद	2021-22 (पूर्व-वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
क.	राजस्व प्राप्तियां	63084	102322	97132	106061
ख.	राजस्व व्यय	59269	71615	75004	77009
	राजस्व अधिशेष (क-ख)	**3815**	**30707**	**22128**	**29052**
ग.	पूंजी प्राप्तियां	11494	10628	9657	12439
घ.	पूंजी व्यय	15309	41335	31785	41491
	पूंजीक/गघाटा (ग-घ)	**-3815**	**-30707**	**-22128**	**-29052**
ड.	कुल व्यय	74578	112950	106789	118500
च.	कुल प्राप्तियां	74578	112950	106789	118500
छ.	**राजकोषीय घाटा**	**12219**	**9570**	**9570**	**12012**
ज.	**गैर-वित्तोषित /अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन**	**0**	**0**	**0**	**0**

'-' चिह्न घाटे को दर्शाता है

रु.जहां से आता है।
(2023-24)

ग्राफ : 1

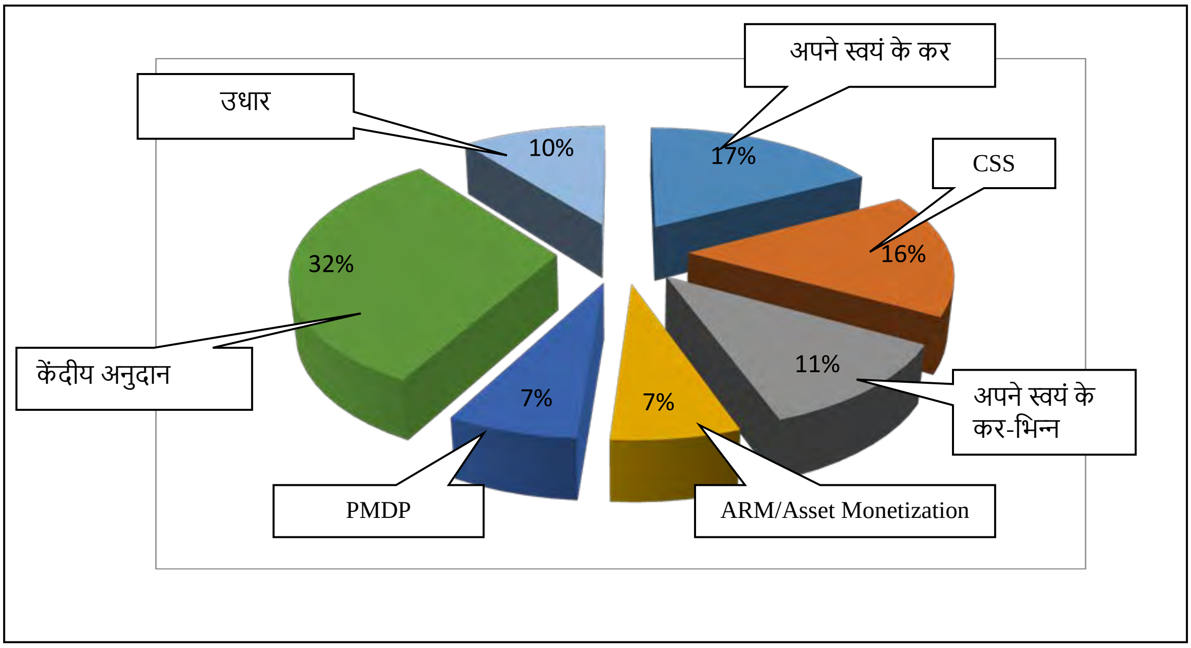

रु. : जहां जाता है।
(2023-24)

ग्राफ: 2

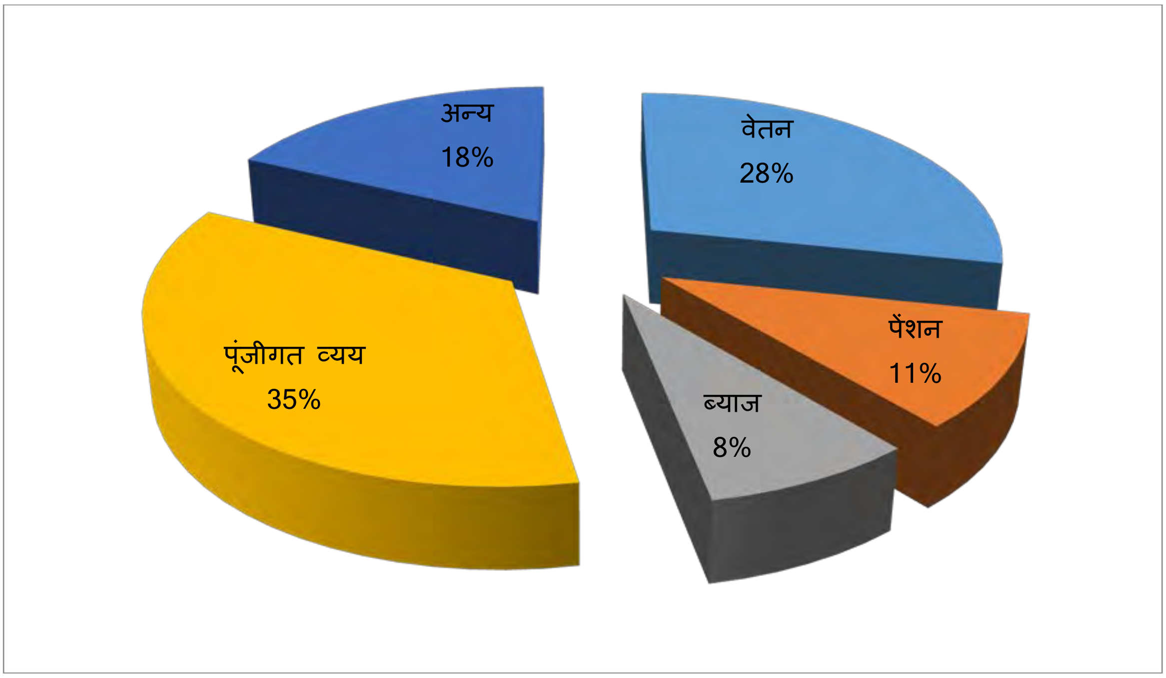

आर्थिक वृद्धि
मौजूदा मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद

ग्राफ : 3 (करोड़ रु. में)

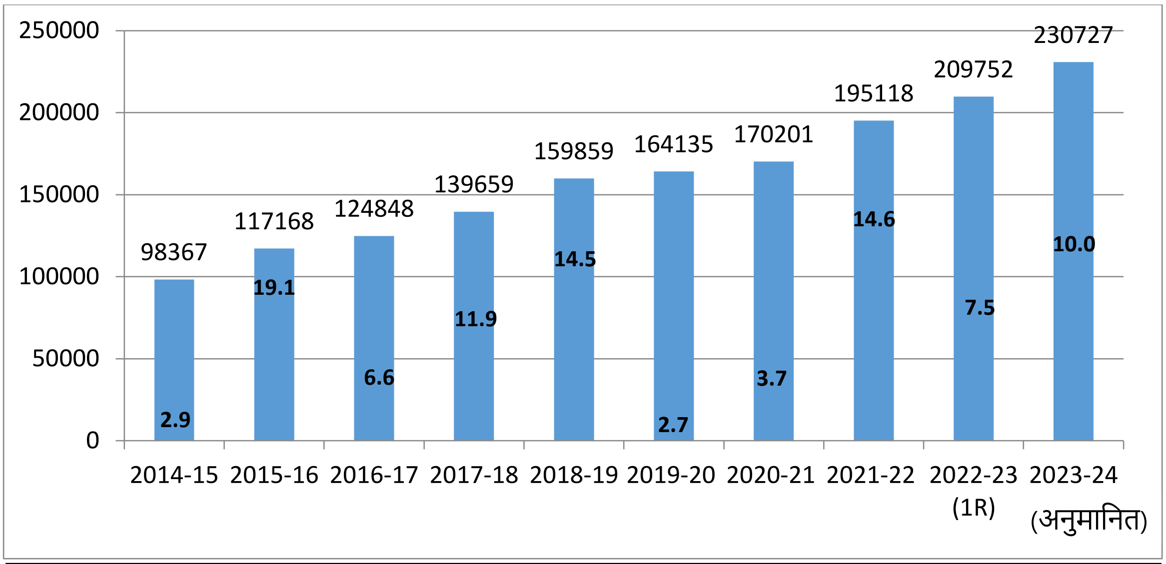

(कोष्ठकों में वृद्धि के % की गणना आधार वर्ष 2011-12 पर की गई है)

कर और राजस्व –करभार और कुशलता

ग्राफ: 4 स्व-राजस्व%जीडीपी

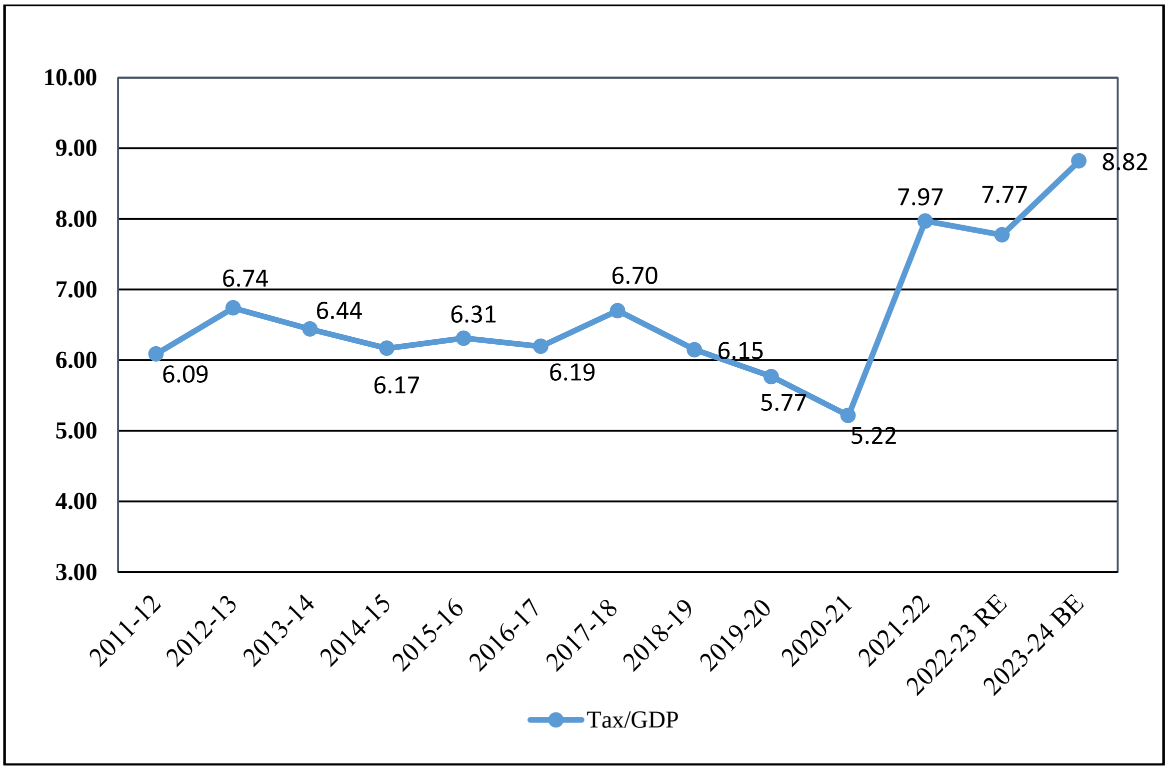

तालिका-2 बजट : आधारभूत विवरण

(करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 (पूर्व-वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां (i+ii+iii+iv)	**63084**	**102322**	**97132**	**106061**
i. स्वयं का कर राजस्व	15552	16666	16303	20349
ii. कर-भिन्न राजस्व	4841	8648	9225	13593
iii. केंद्र से प्राप्त संसाधन	42691	68206	69120	64319
iv. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एआरएम)/सिस्टम पूल में संसाधनों का चैनलाइजेशन (सीआरआई एस पी)/संपत्ति मुद्रीकरण	-	8802	2484	7800
कुल राजस्व व्यय	**59269**	**71615**	**75004**	**77009**
ब्याज का भुगतान	*7405*	*7427*	*9076*	*9635*
सीएसएस (CSS)	2008	3319	3416	3654
कुल पूंजीप्राप्तियां	**11494**	**10628**	**9657**	**12439**
i. उधार	12814	9158	9158	11633
ii. भविष्य निधि की अन्य देयताएं (निवल)	-595	412	412	379
iii. विविध, ऋण भिन्न सृजन	-725	1053	82	422
iv. ऋण और अग्रिम की वसूली	0.16	5	5	5
कुल पूंजीव्यय	**15309**	**41335**	**31785**	**41491**
i. पूंजीव्यय	11901	22904	20515	26259
जिसमें से अदायगियां	*4188*	*3521*	*5030*	*8099*
ii.सीएसएस (CSS)	3404	18431	11270	15232
कुल व्यय	**74578**	**112950**	**106789**	**118500**
i. राजस्व व्यय	59269	71615	75004	77009
ii. पूंजीव्यय	11901	22904	20515	26259
iii. CSS पूंजीव्यय	3408	18431	11270	15232
कुल प्राप्तियां	**74578**	**112950**	**106789**	**118500**
i. राजस्व प्राप्तियां	63084	102322	97132	106061
ii. पूंजीप्राप्तियां *	11494	10628	9657	12439
राजस्व अधिशेष	**3815**	**30707**	**22128**	**29052**
गैर वित्त पोषित/अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल व्यय	**12219**	**9570**	**9570**	**12012**

पूंजी प्राप्ति औररू 26000 करोड का अग्रिम संसाधन (वेज ऐंड मिनज़) संशोधित अनुमान 2022-23में शामिल नहीं हैं। रू 30000 करोड का अग्रिम संसाधन (वेज ऐंड मिनज़) बजट अनुमान 2023-24 में शामिल नहीं हैं।

तालिका- 3: राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 (पूर्व-वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां (I+II)	**63084**	**102322**	**97132**	**106061**
I. केंद्र से कुल अनुदान	**42691**	**68206**	**69120**	**64319**
i. केंद्र से प्राप्त संसाधन	42691	68206	69120	64319
II. अपने स्वयं के संसाधन (1+2+3)	**20393**	**34116**	**28012**	**41742**
1. स्वयं के कर राजस्व	**15552**	**16666**	**16303**	**20349**
a. जीएसटी (GST)	10239	10600	10600	13174
b.बिक्री कर	1906	1800	1800	1800
c. उत्पाद शुल्क और माल पर कर	1789	1905	1918	2450
d. अन्य	1618	2361	1985	2925
2. जिसमें से कर भिन्न राजस्व	**4841**	**8648**	**9225**	**13593**
ब्याज प्राप्तियां	*17*	*2*	*1*	*0.43*
विद्युत प्राप्तियां	*2716*	*5000*	*4609*	*6000*
3. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एआरएम)/सिस्टम पूल में संसाधनों का चैनलाइजेशन (सीआरआईएसपी)/संपत्ति मुद्रीकरण	**-**	**8802**	**2484**	**7800**

तालिका 4: राजस्व प्राप्तियां और व्यय : संरचना

(करोड़ रुपएमें)

	मद	2021-22 (पूर्व-वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
A.	**राजस्व व्यय**	**59269**	**71615**	**75004**	**77009**
	i. ब्याज	7405	7427	9076	9635
	ii. बिजलीखरीद*	1945	5000	3074	3040
	iii. रखरखाव/मरम्मत/सामग्री और आपूर्तियां	767	861	1034	1112
	iv. सहायता अनुदान (GIA)	4807	4287	4841	4872
	v. सीएसएस (CSS)	2008	3319	3416	3654
B.	**प्राथमिक राजस्व व्यय**	**51864**	**64188**	**65928**	**67374**
	i. वेतन	26079	32495	31592	33530
	ii. पेंशन	11563	9780	13126	12525
	iii. अन्य	4695	8446	8845	8641

* 2021-22 में विद्युत क्रय लागत उत्पादन कंपनियों की देनदारियों को ऑफसेट करने के लिए डिस्कॉम के लिए ऋण योजना के माध्यम से बिजली खरीद के कारण 14162.257 करोड़ रुपये की पिछली देनदारी की निकासी के कारण कम रही है।

तालिका 5: पूंजीप्राप्तियां

(करोड़ रुपएमें)

मद	2021-22 (पूर्व-वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
पूंजीगत प्राप्तियां	**11494**	**10628**	**9657**	**12439**
1. परक्राम्य ऋण	535	1505	1505	1505
2. बाजार उधार	12279	7653	7653	10128
3. विविध, ऋण भिन्न राशि जुटाना	-725	1053	82	422
4. ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.16	5	5	5
5. भविष्य निधि (निवल)	-595	412	412	379

तालिका 6: पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 (पूर्व-वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
पूंजीगत व्यय	**15309**	**41335**	**31785**	**41491**
i. UT/जिला/पीएमडीपी (तामिर) कपैक्स	7641	19074	15267	17961
ii. ऋण और अग्रिम	72	109	118	99
iii. ऋण की अदायगी	4188	3521	5030	8099
iv. इक्विटी और निवेश	-	200	100	100
v. सीएसएस	3408	18431	11270	15232
घाटा/ पूंजी खाते पर अधिशेष	**-3815**	**-30707**	**-22128**	**-29052**

भाग (i) के अंतर्गत व्यय में वर्ष 2021-22के लिए यूएलबी/पीआरआई अनुदान शामिल है।

पूंजीप्राप्तियां बनाम पूंजीव्यय

ग्राफ: 5 (करोड़ रुपए में)

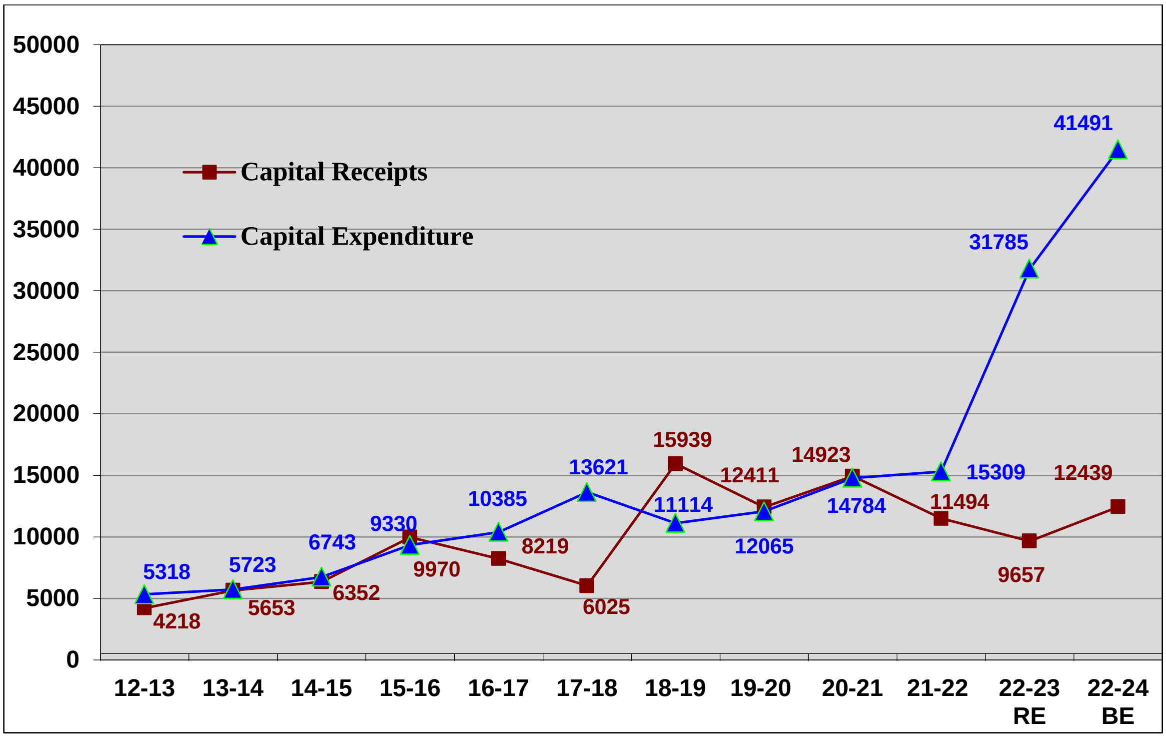

कैपेक्स (CAPEX) के प्रतियूनिट पर राजस्व व्यय

ग्राफ: 6

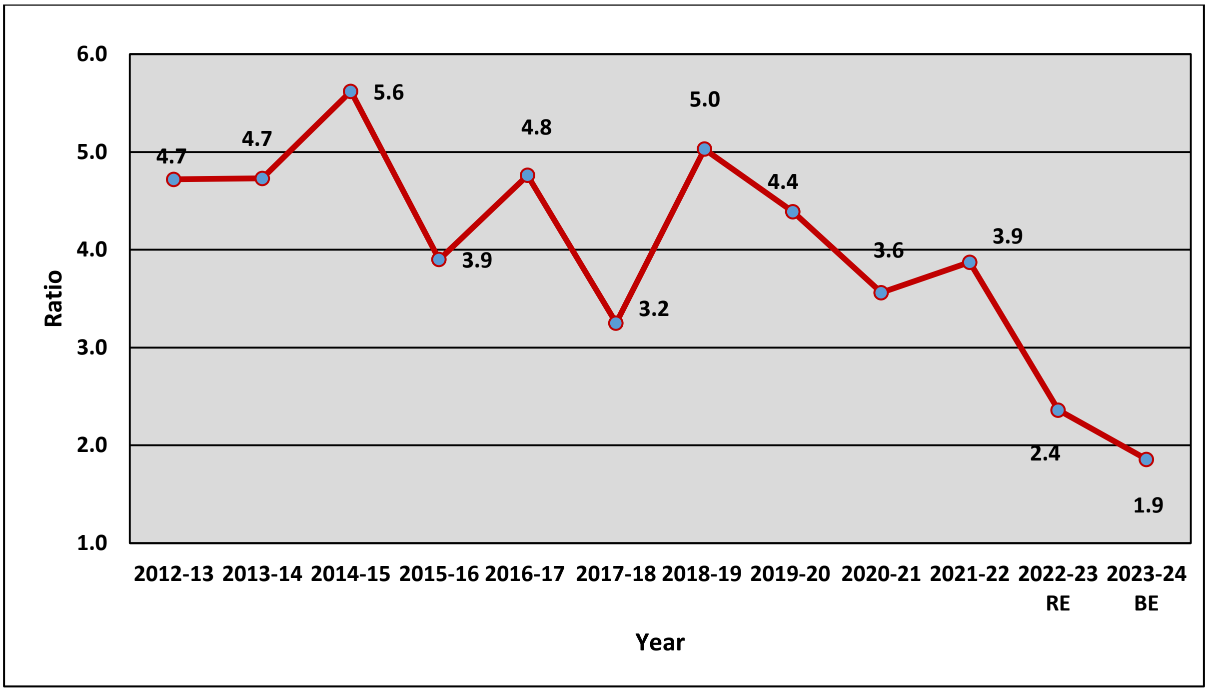

पूंजी व्यय के लिए उपलब्ध राजस्व अधिशेष

ग्राफ: 7 (करोड़ रूपए में)

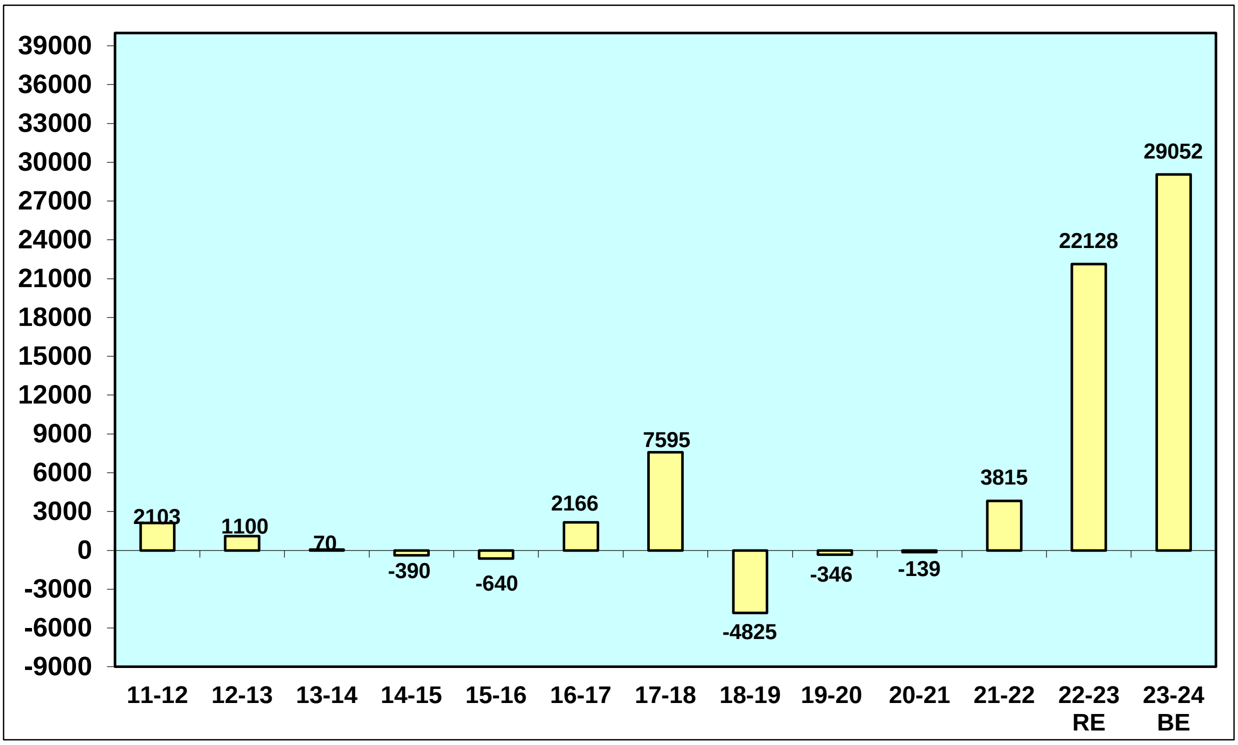

अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि
(कर+कर-भिन्न)

ग्राफ: 8 (करोड़ रुपए में)

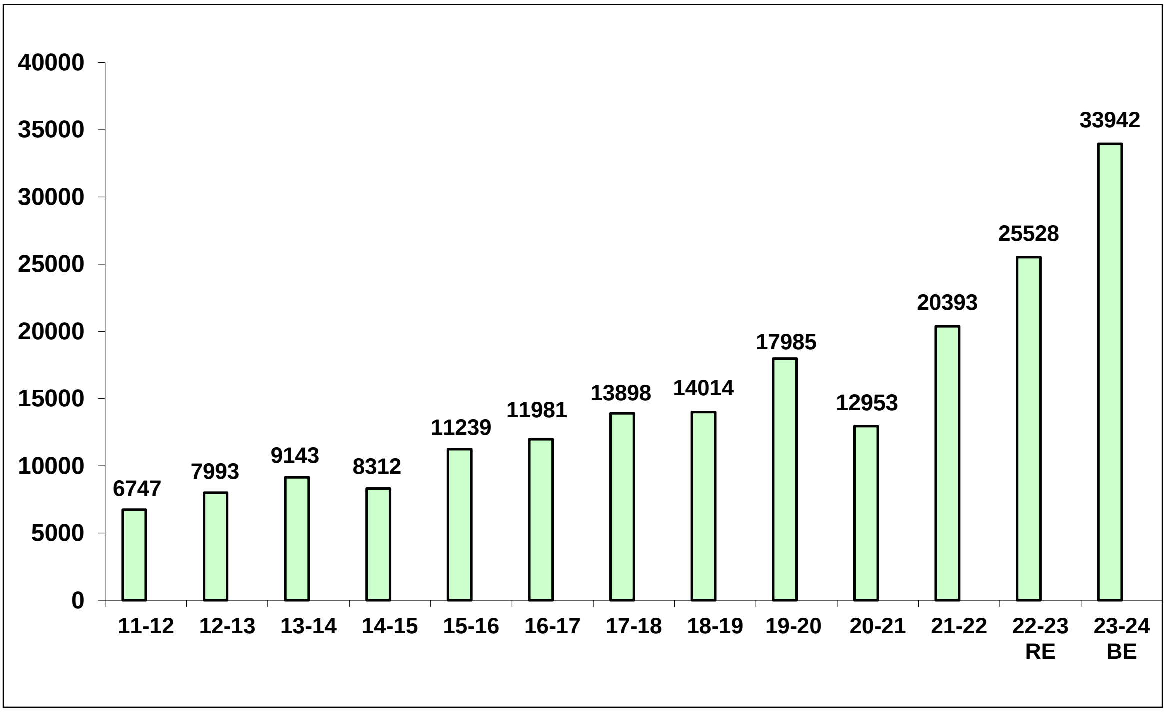

तालिका 7: केंद्र से सांवधिक प्रवाह
(2022-2023और 2023-2024)

(करोड़ रुपए में)

		2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (बजट अनुमान)
(A)	**अनुदानों की हकदारी**	**38456**	**46890**	**37533**
	i. राजस्व घाटा अनुदान (गृह मंत्रालय अनुदान के तहत केंद्रीय सहायता)	35302	44417	35302
	ii. डीआरएफ(DRF)	279	279	279
	iii. एसआरई (SRE)	2500	2100	1700
	iv. अन्य केंद्रीय योजनाएं	375	94	252
(B)	**अन्य अनुदान**	**29750**	**22230**	**26786**
	i. प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (TAMEIR)	8000	7544	7900
	ii. सीएसएस (CSS)	21750	14686	18886
	कुल (ए+बी)	**68206**	**69120**	**64319**

* यूएलबी/पीआरआई अनुदान यूटी का केंद्रीय सहायता का हिस्सा हैं, जो भाग (i) में दिखाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमएचए अनुदान के तहत कुल 35302 करोड़ रुपये है।

निवेश की दर

ग्राफ: 9 **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केपैक्स (CAPEX)**

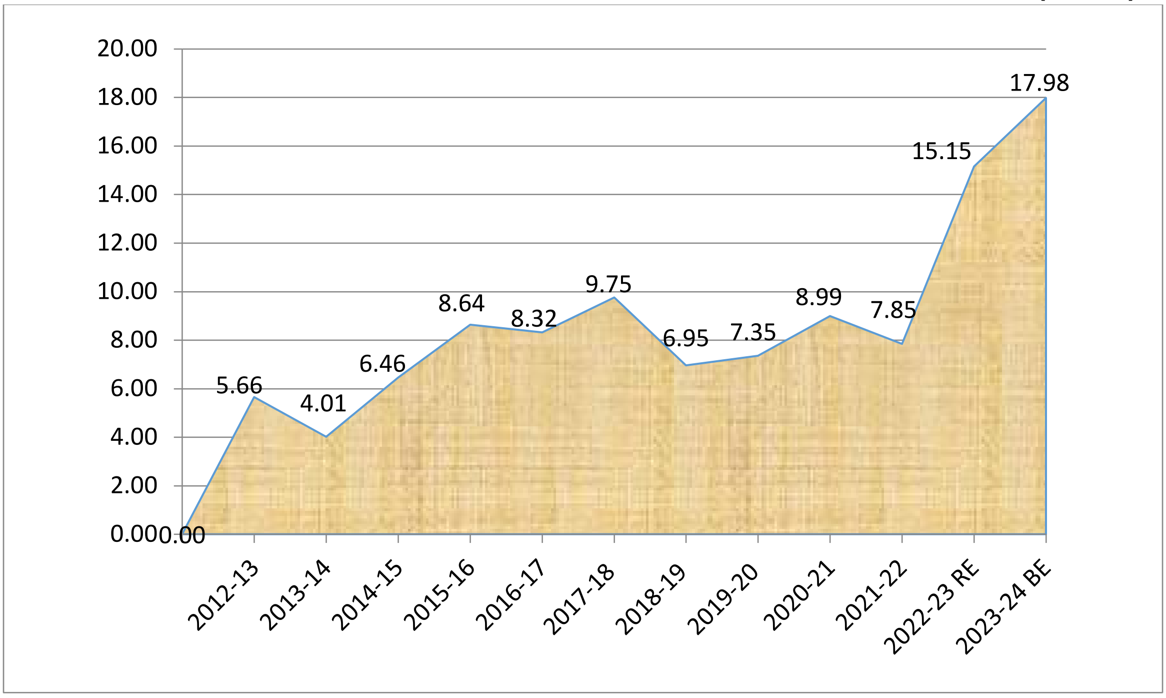

राजकोषीय घाटे का उपयोग

ग्राफ: 10 **राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में केपैक्स (CAPEX)**

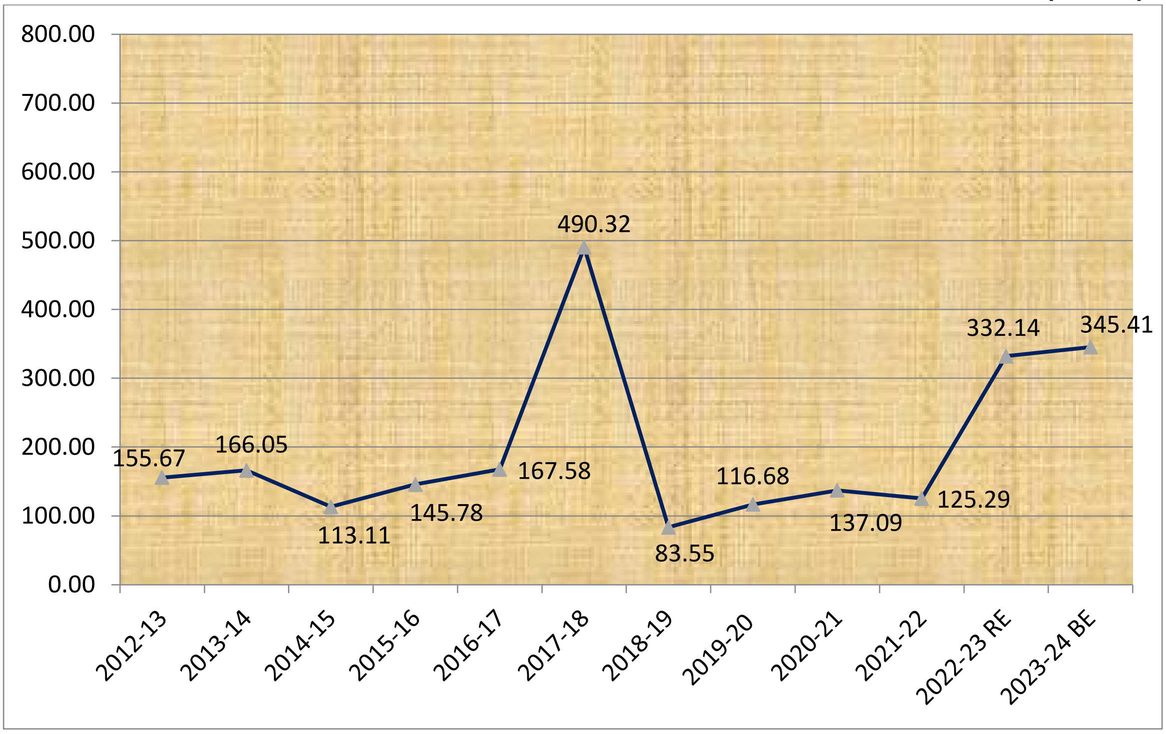

व्यय की प्रवृत्ति

ग्राफ: 11 (करोड़ रुपए में)

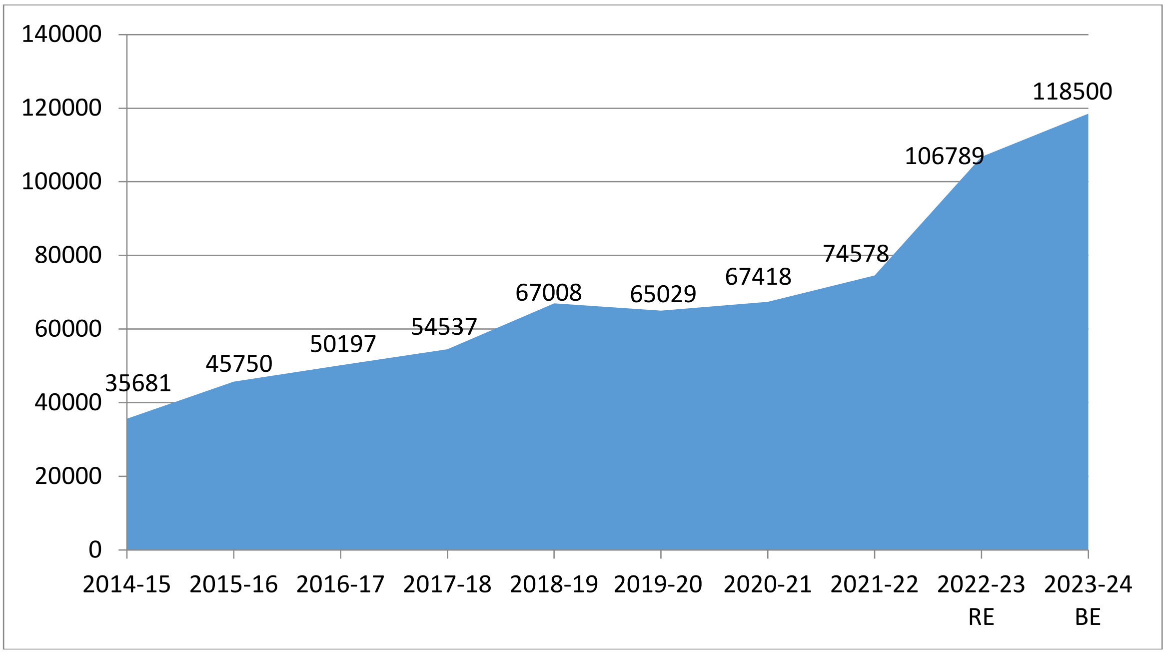

कर राजस्व : प्रवृत्तियां

ग्राफ : 12 (करोड़ रुपए में)

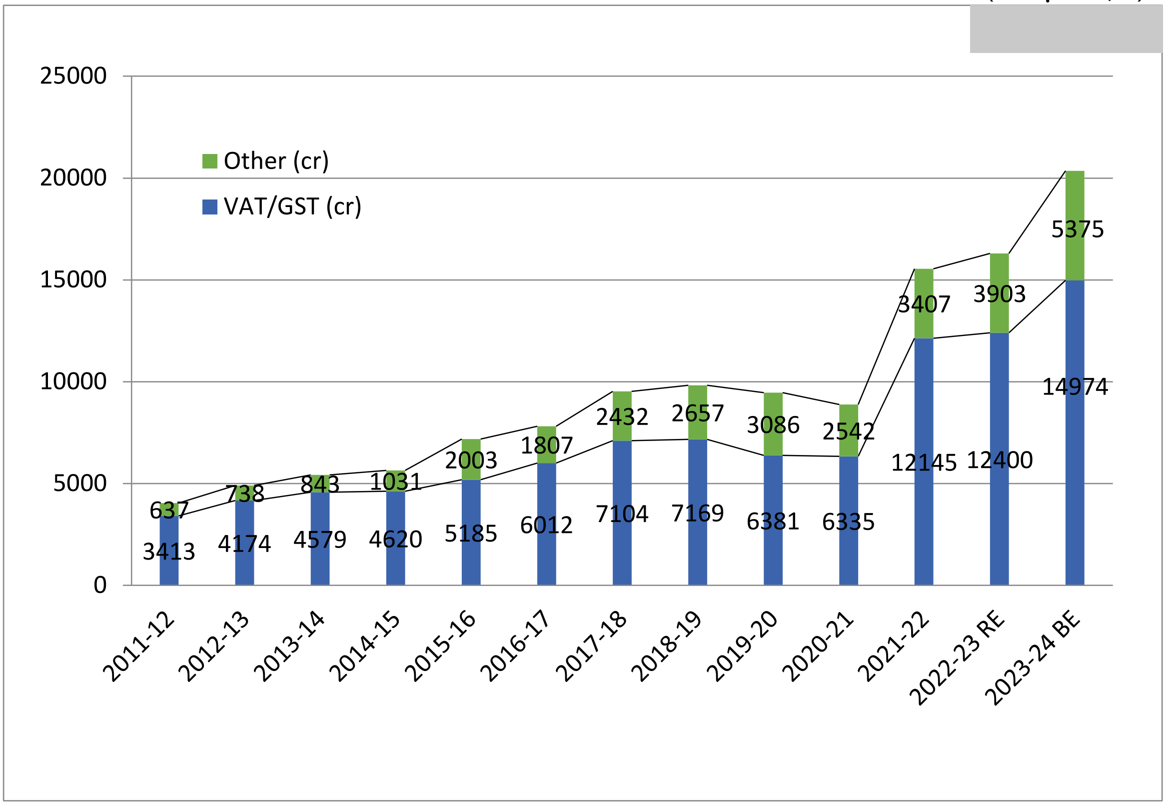

पूंजी व्यय का वित्तपोषण

ग्राफ: 13 (करोड़ रुपए में)

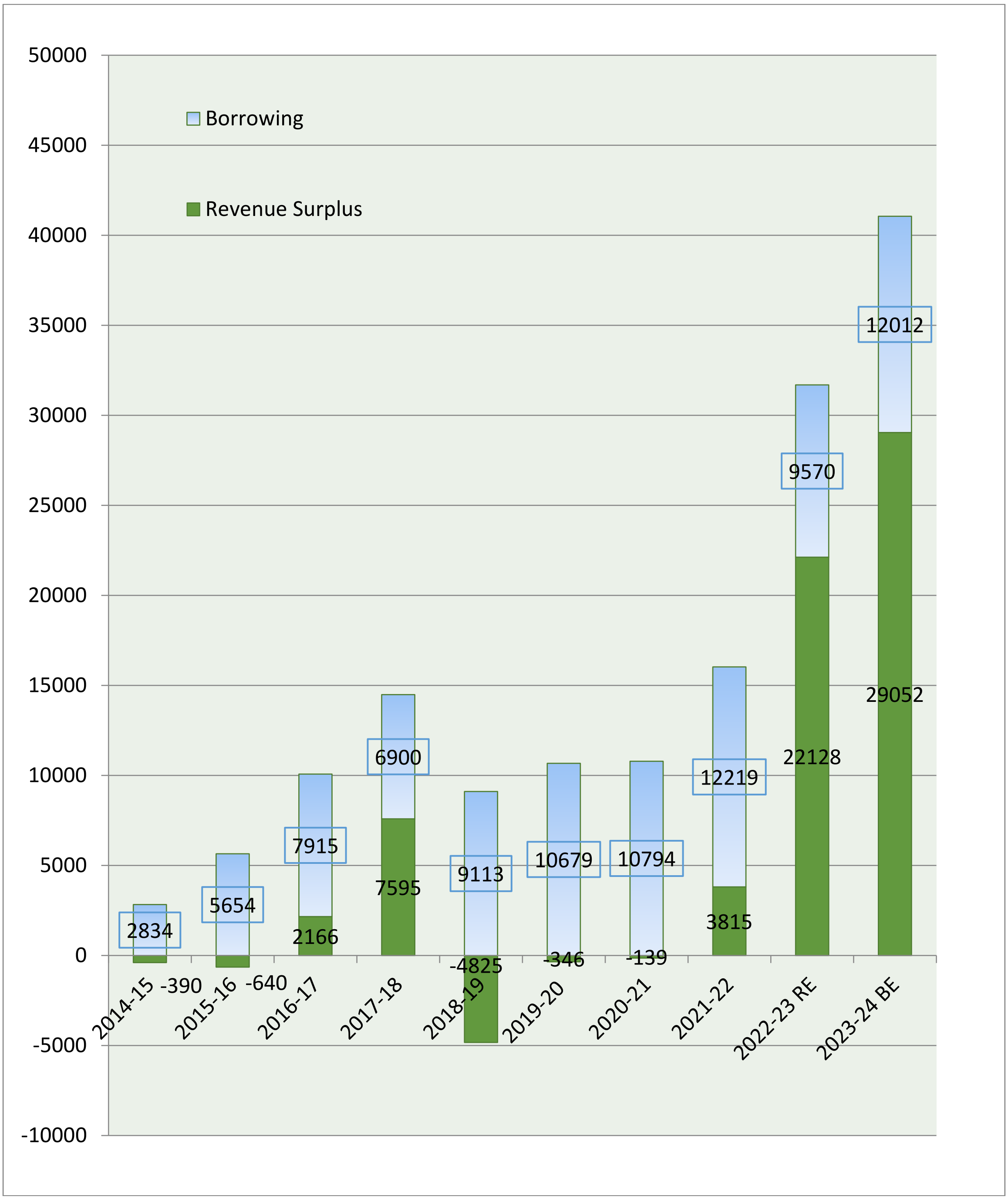

तालिका 8: सेक्टर-वार राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए में)

मांग सं.	विभाग	बजट अनुमान (2022-23)	संशोधित अनुमान (2022-23)	बजट अनुमान (2023-24)	% बढ़ोतरी (2022-23) RE से (2023-24) BE तक
01	**प्रशासनिक सेक्टर**				
01	सामान्य प्रशासन	590.76	525.86	560.86	6.66
02	गृह	9588.37	9764.67	10314.22	5.63
04	सूचना	131.95	120.51	122.05	1.28
09	संसदीय कार्य	58.69	34.80	59.59	71.24
10	विधि	718.50	777.28	932.58	19.98
14	राजस्व	906.72	838.77	830.54	-0.98
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	226.55	229.70	239.37	4.21
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	994.11	1027.58	1009.82	-1.73
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	**13215.65**	**13319.17**	**14069.03**	**5.63**
02	**सामाजिक सेक्टर**				
07	शिक्षा	10888.37	11017.35	12000.18	8.92
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	318.26	229.56	236.21	2.90
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	6388.63	6598.16	6264.75	-5.05
18	सामाजिक कल्याण	3004.64	2960.10	3538.72	19.55
25	लेखन सामग्री एवं प्रिटिंग/ श्रम एवं रोजगार	108.50	107.37	111.13	3.50
27	उच्चतर शिक्षा	1482.66	1453.84	1540.68	5.97
30	जनजातीय कार्य	135.10	132.30	121.91	-7.85
31	संस्कृति	67.35	79.49	97.38	22.51
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	666.87	651.66	669.48	2.73
	कुल सामाजिक सेक्टर	**23060.38**	**23229.83**	**24580.44**	**5.81**
03	**अवसंरचना सेक्टर**				
06	विद्युत विकास	6310.51	4404.50	4388.24	-0.37
16	लोकनिर्माण कार्य	1078.70	1202.76	1327.60	10.38
19	आवास एवं शहरी विकास	1137.00	1330.06	1297.51	-2.45
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	810.29	692.25	717.58	3.66
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1805.63	1936.27	1838.12	-5.07
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	21.03	20.64	13.02	-36.92
	कुल अवसंरचना सेक्टर	**11163.16**	**9586.48**	**9582.07**	**-0.05**

04	**आर्थिक सेक्टर**				
05	खनन	0.00	0.00	78.35	-
11	उद्योग एवं वाणिज्य	447.18	431.71	347.44	-19.52
12	कृषि उत्पादन	1339.36	1274.44	1308.00	2.63
13	पशु/भेड़पालन	722.21	675.66	669.08	-0.97
20	पर्यटन	228.85	217.29	215.00	-1.05
21	वन	1688.43	1549.51	1568.52	1.23
26	मत्स्य पालन	119.04	110.71	111.57	0.78
28	ग्रामीण विकास	815.32	750.59	748.34	-0.30
29	परिवहन	117.32	104.91	107.39	2.36
32	बागवानी	192.93	156.72	161.52	3.06
36	सहकारिता	85.08	176.33	71.20	-59.62
	कुल आर्थिक सेक्टर	**5755.72**	**5447.87**	**5386.41**	**-1.13**
05	**वित्तीय सेक्टर**				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	154.67	132.54	134.80	1.71
08	वित्त	18265.38	23288.05	23256.01	-0.14
	कुल वित्तीय सेक्टर	**18420.05**	**23420.59**	**23390.81**	-0.13
	कुल मिलाकर	**71614.96**	**75003.94**	**77008.76**	**2.67**

'-' चिह्न कमी को दर्शाता है।

सेक्टर-वार राजस्व व्यय

ग्राफ: 14

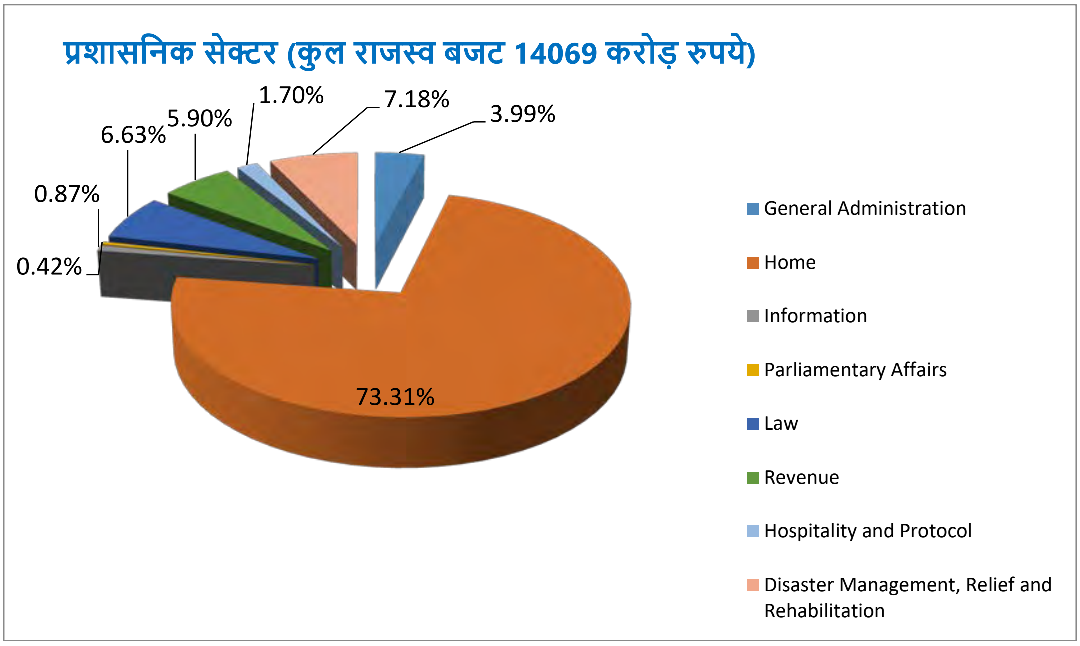

ग्राफ : 15

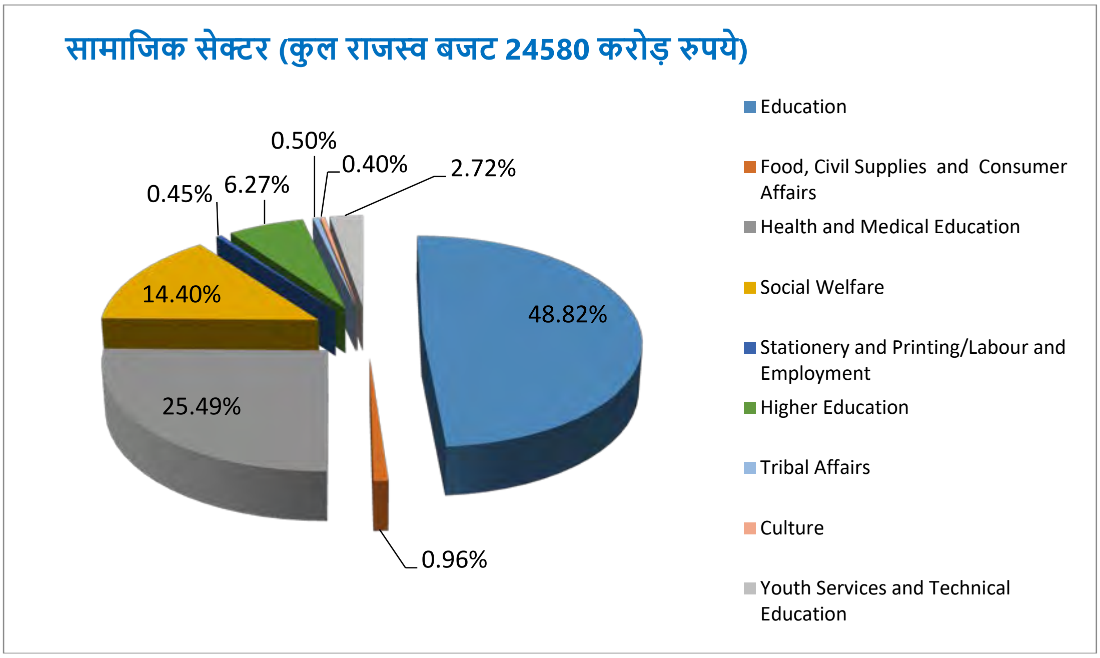

ग्राफ: 16

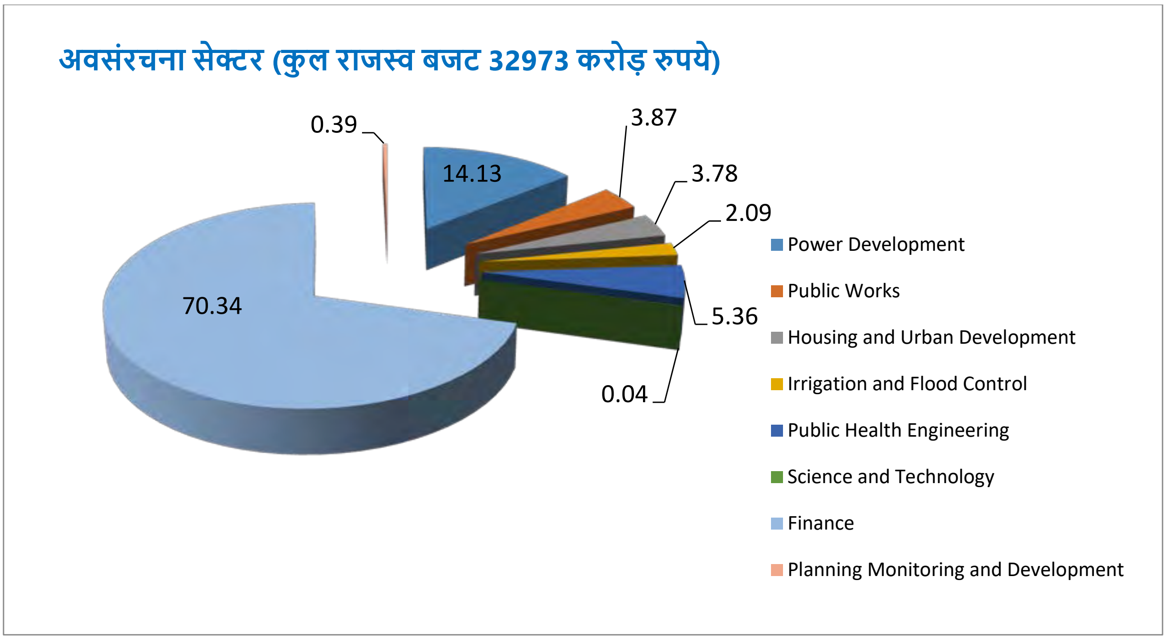

अवसंरचना सेक्टर (कुल राजस्व बजट 32973 करोड़ रुपये)
0.39
3.87
14.13
3.78
2.09
70.34
5.36
0.04
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

ग्राफ: 17

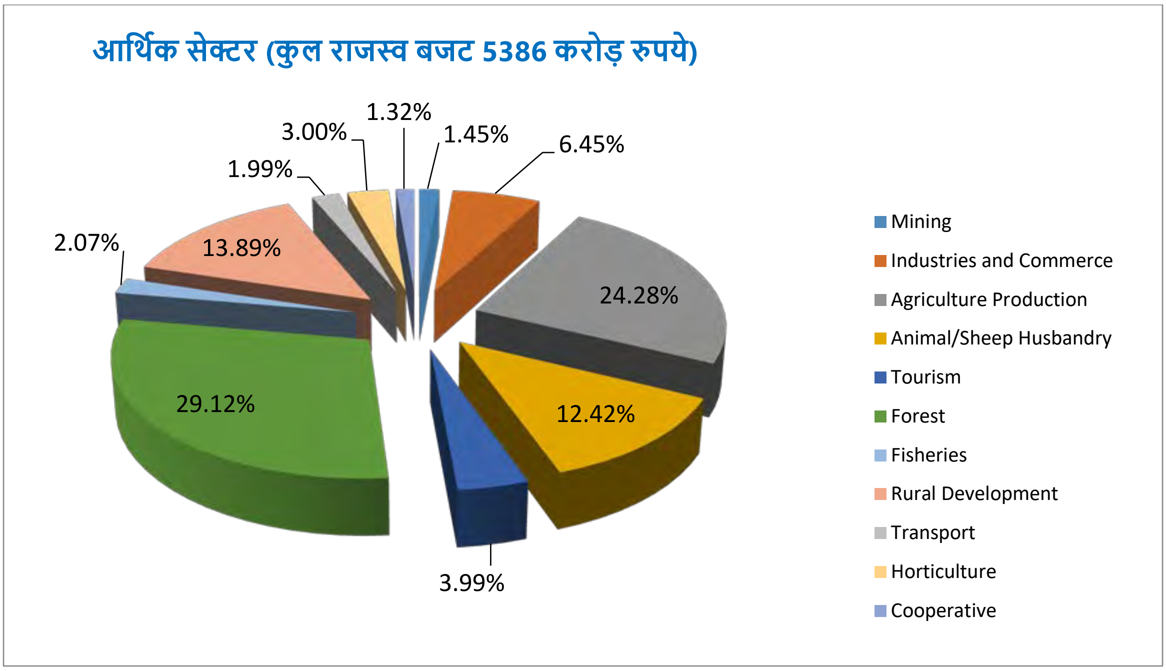

आर्थिक सेक्टर (कुल राजस्व बजट 5386 करोड़ रुपये)
1.32%
3.00%
1.45%
6.45%
1.99%
2.07%
13.89%
24.28%
29.12%
12.42%
3.99%
Mining
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

तालिका 9: सेक्टर-वार पूंजीव्यय

(करोड़ रुपए में)

मांग सं.	विभाग	बजट अनुमान (2022-23)	संशोधित अनुमान (2022-23)	बजट अनुमान (2023-24)	% बढ़ोतरी (2022-23) RE से (2023-24) BE तक
01	**प्रशासनिक सेक्टर**				
01	सामान्य प्रशासन	206.59	121.71	163.41	34.26
02	गृह	1242.82	662.69	799.61	20.66
04	सूचना	100.48	50.48	100.48	99.05
09	संसदीय कार्य	4.00	0.00	4.00	-
10	विधि	122.00	122.00	192.00	57.38
14	राजस्व	93.50	46.85	59.50	27.00
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	51.00	51.21	72.00	40.60
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	566.62	145.00	410.67	183.22
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	**2387.01**	**1199.94**	**1801.67**	**50.15**
02	**सामाजिक सेक्टर**				
07	शिक्षा	944.41	598.51	792.12	32.35
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	306.26	369.38	390.87	5.82
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1484.72	1882.56	2097.53	11.42
18	सामाजिक कल्याण	198.07	123.69	98.92	-20.03
25	स्टेशनरी और छपाई / श्रम और रोजगार	67.58	44.71	69.00	54.33
27	उच्चतर शिक्षा	862.25	729.75	729.75	0.00
30	जनजातीय कार्य	282.23	432.79	446.76	3.23
31	संस्कृति	325.82	124.13	170.07	37.01
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	244.99	265.84	227.63	-14.37
	कुल सामाजिक सेक्टर	**4716.33**	**4571.36**	**5022.65**	**9.87**
03	**अवसंरचना सेक्टर**				
06	विद्युत विकास	2457.58	2075.03	1964.90	-5.31
16	लोकनिर्माण कार्य	5217.87	3963.88	4062.87	2.50
19	आवास एवं शहरी विकास	3112.88	2253.26	2928.04	29.95
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1237.69	1409.99	1310.50	-7.06
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	8051.46	2530.49	5850.00	131.18
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	127.91	72.85	109.85	50.79
	कुल अवसंरचना सेक्टर	**20205.39**	**12305.50**	**16226.16**	**31.86**

04	**आर्थिक सेक्टर**				
05	खनन	0.00	0.00	12.20	-
11	उद्योग एवं वाणिज्य	555.80	458.39	741.79	61.83
12	कृषि उत्पादन	1496.04	788.31	1953.95	147.87
13	पशु/भेड़पालन	266.10	243.86	476.44	95.37
20	पर्यटन	278.95	278.95	287.32	3.00
21	वन	200.76	139.23	207.75	49.21
26	मत्स्य पालन	125.80	118.00	153.26	29.88
28	ग्रामीण विकास	4627.85	4413.75	4169.26	-5.54
29	परिवहन	65.50	45.00	54.39	20.87
32	बागवानी	454.00	498.98	572.79	14.79
36	सहकारिता	15.00	15.00	25.00	66.67
	कुल आर्थिक सेक्टर	**8085.80**	**6999.47**	**8654.15**	**23.64**
05	**वित्तीय सेक्टर**				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	974.92	870.65	786.57	-9.66
08	वित्त	4965.67	5838.03	9000.04	54.16
	कुल वित्तीय सेक्टर	**5940.59**	**6708.68**	**9786.61**	45.88
	कुल मिलाकर	**41335.12**	**31784.95**	**41491.24**	**30.54**

सेक्टर-वार पूंजीव्यय

ग्राफ: 18

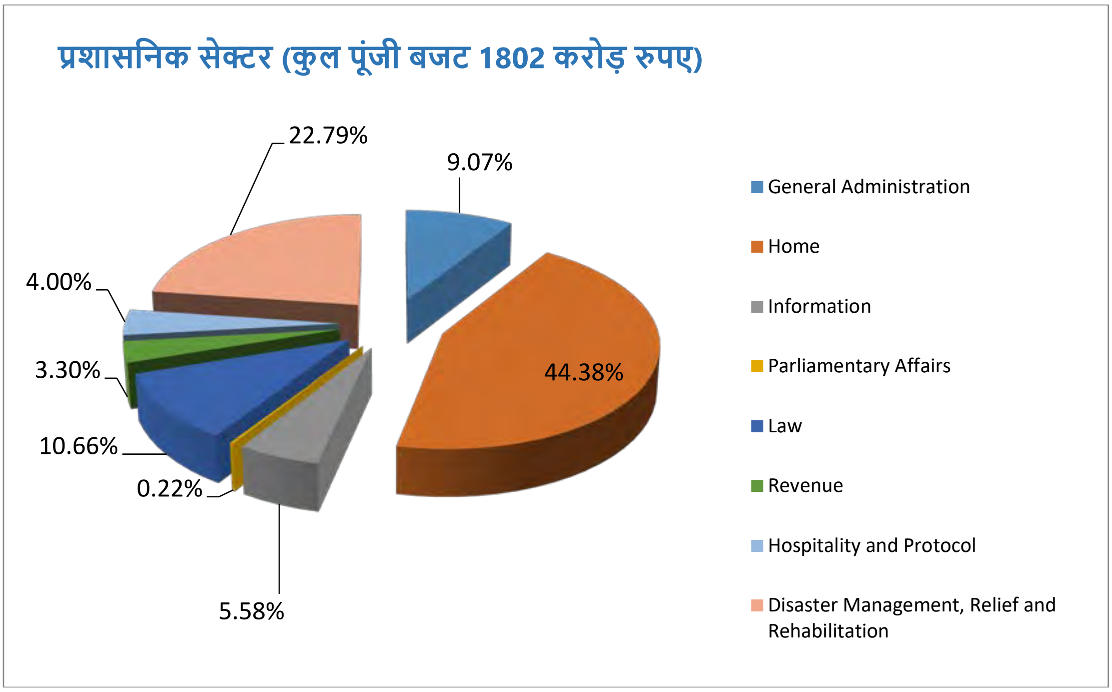

ग्राफ: 19

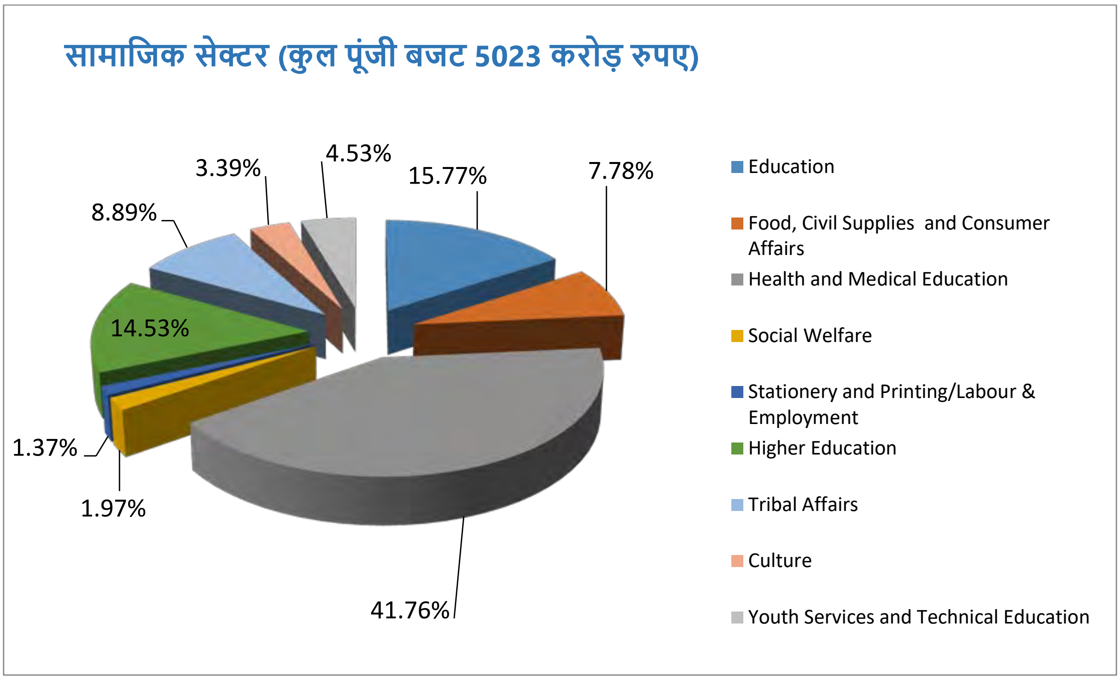

ग्राफ: 20

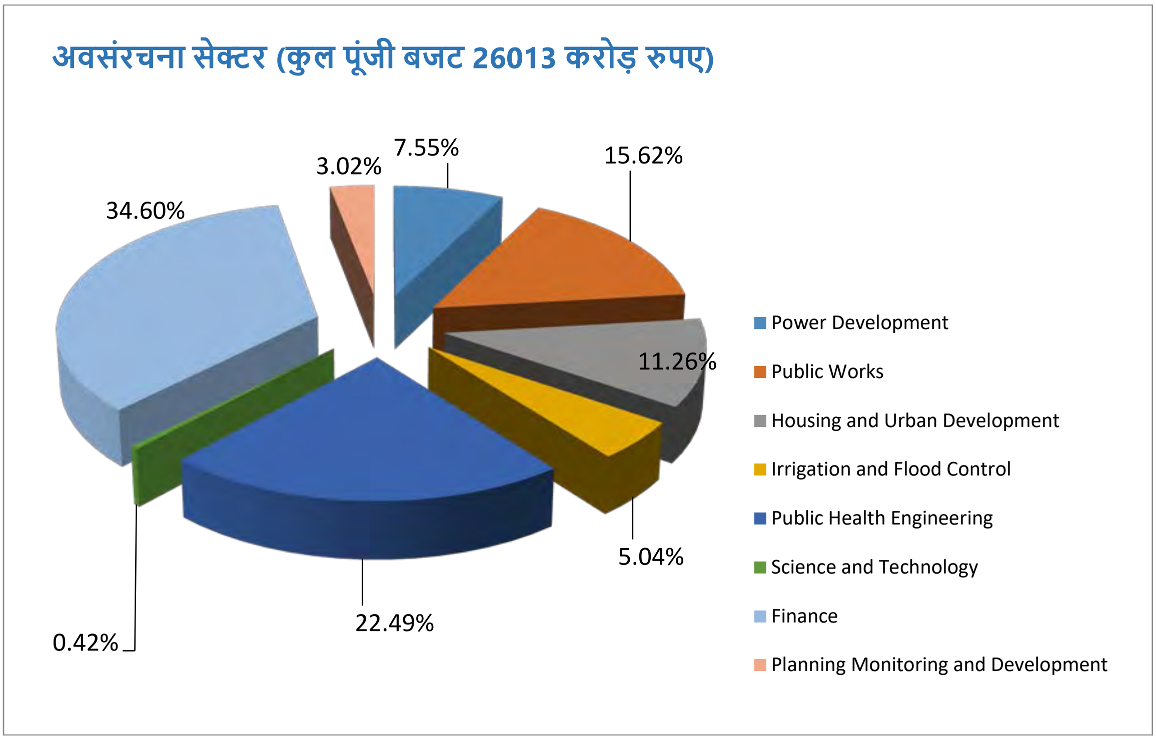

अवसंरचना सेक्टर (कुल पूंजी बजट 26013 करोड़ रुपए)
3.02%
7.55%
15.62%
34.60%
11.26%
5.04%
22.49%
0.42%
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

ग्राफ: 21

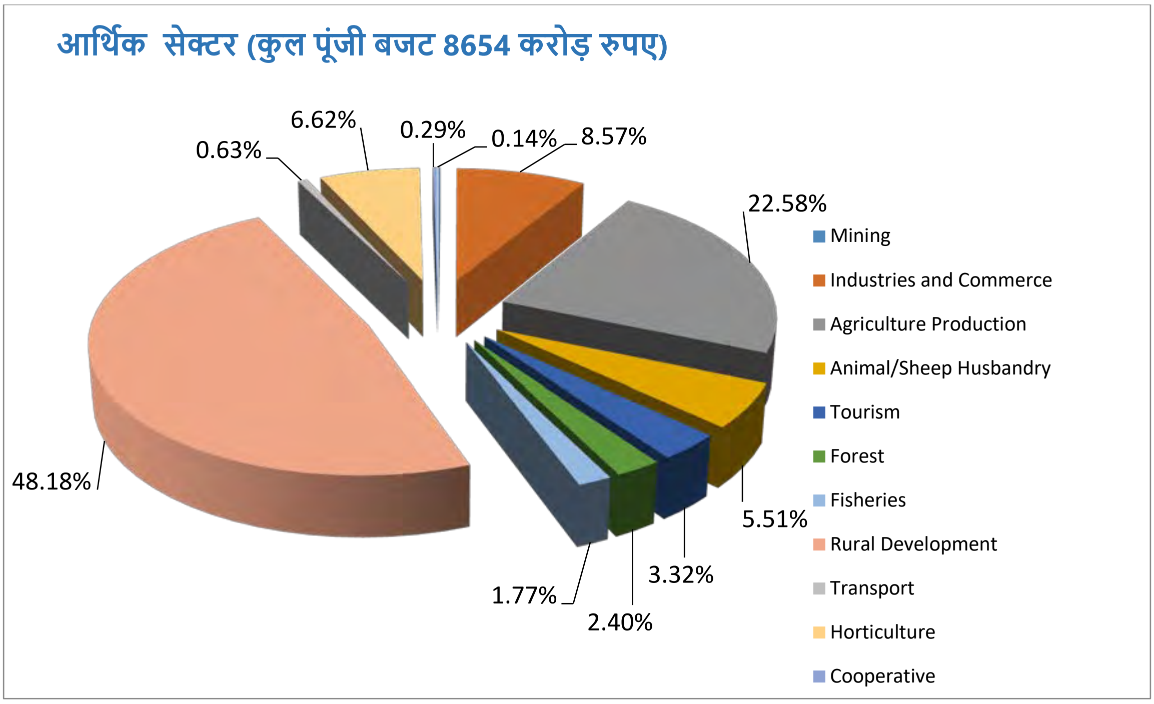

आर्थिक सेक्टर (कुल पूंजी बजट 8654 करोड़ रुपए)
6.62%
0.63%
0.29%
0.14%
8.57%
22.58%
48.18%
5.51%
3.32%
1.77%
2.40%
Mining
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

विभाग-वार समग्र पूंजीव्यय (%)
प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

ग्राफ: 22

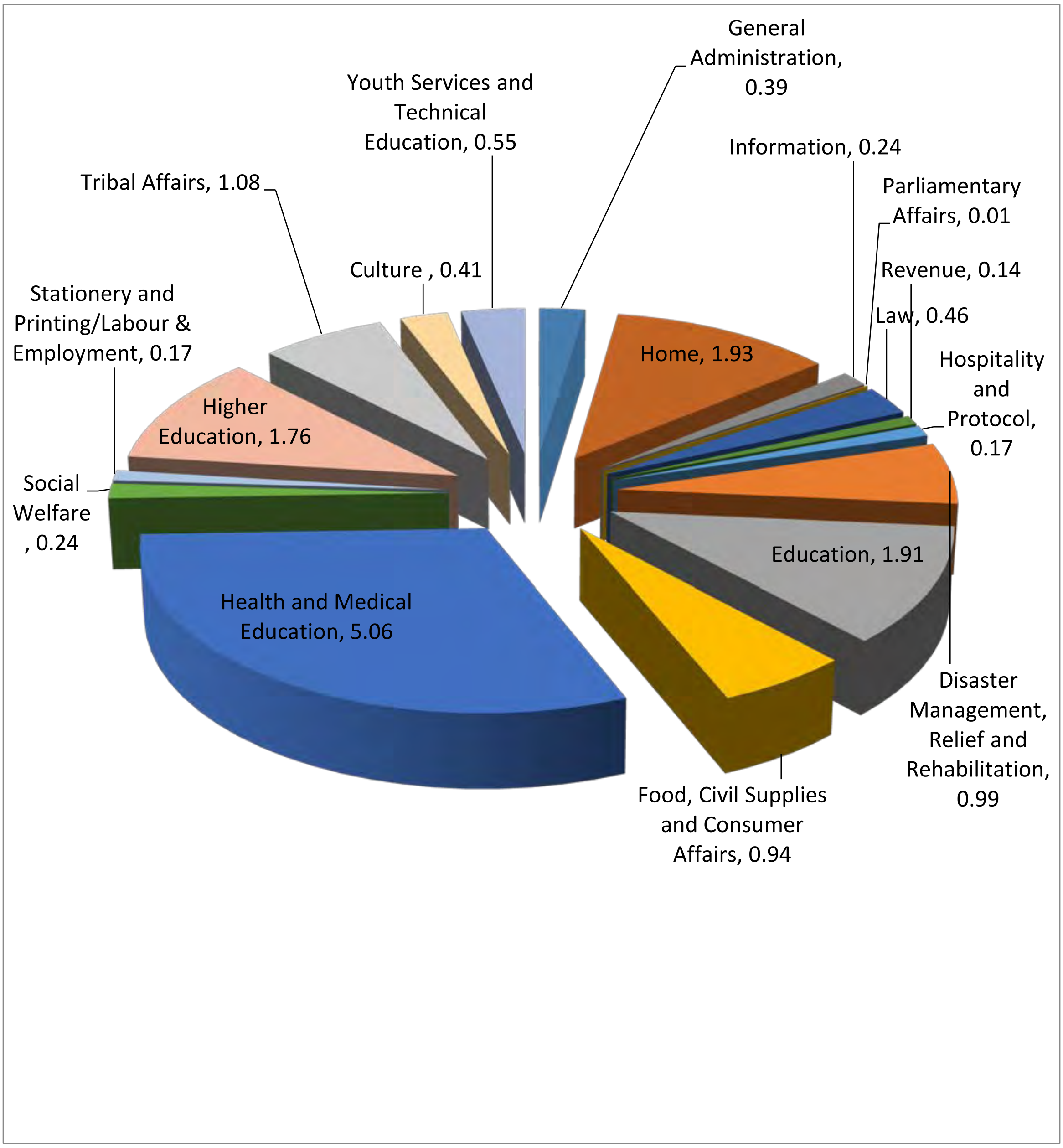

विभाग-वार समग्र राजस्वव्यय (%)
प्रशासनिकऔरसामाजिकसेक्टर:

ग्राफ: 23

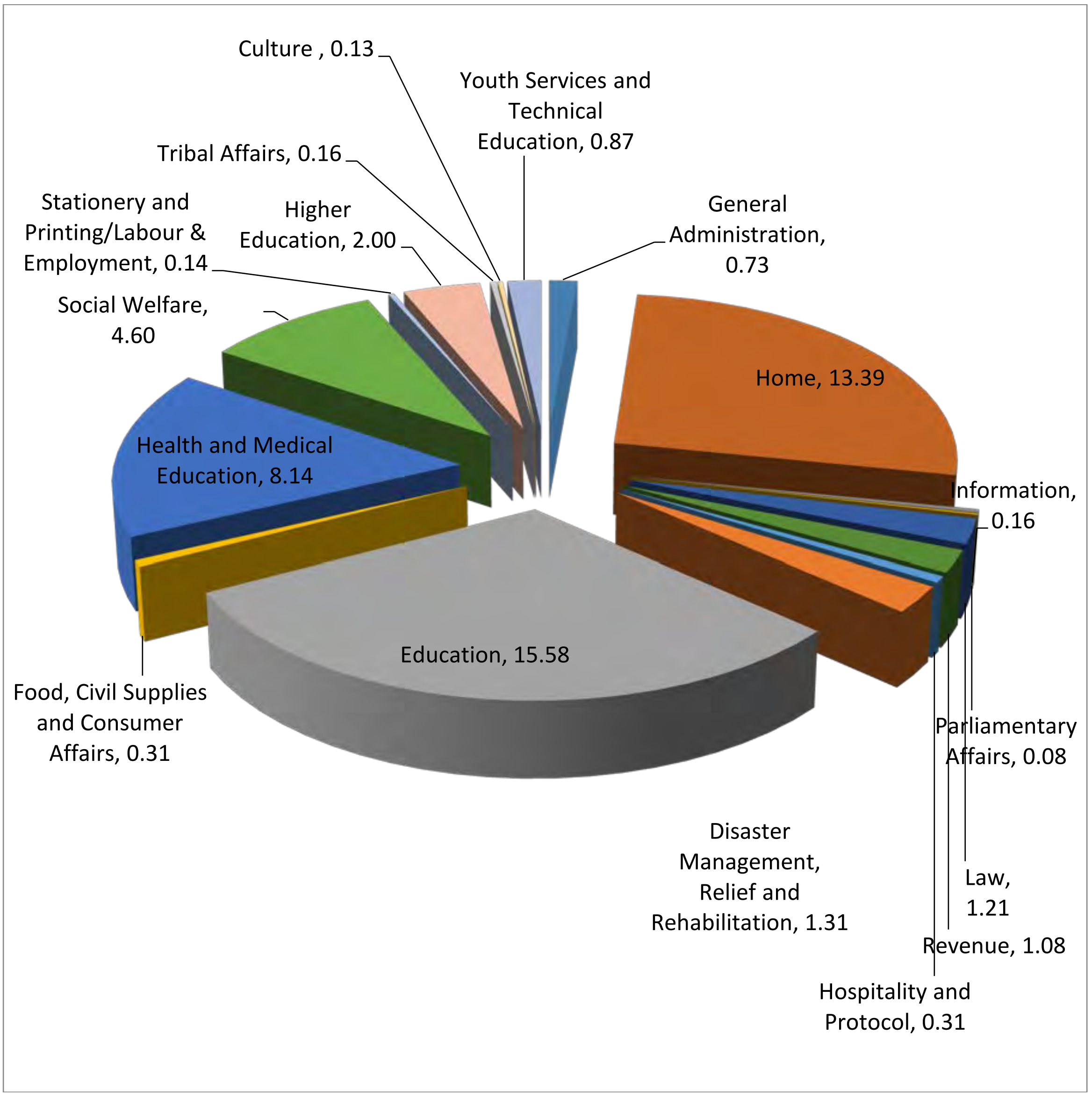

विभाग-वार समग्र पूंजी व्यय (%)
अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

ग्राफ: 24

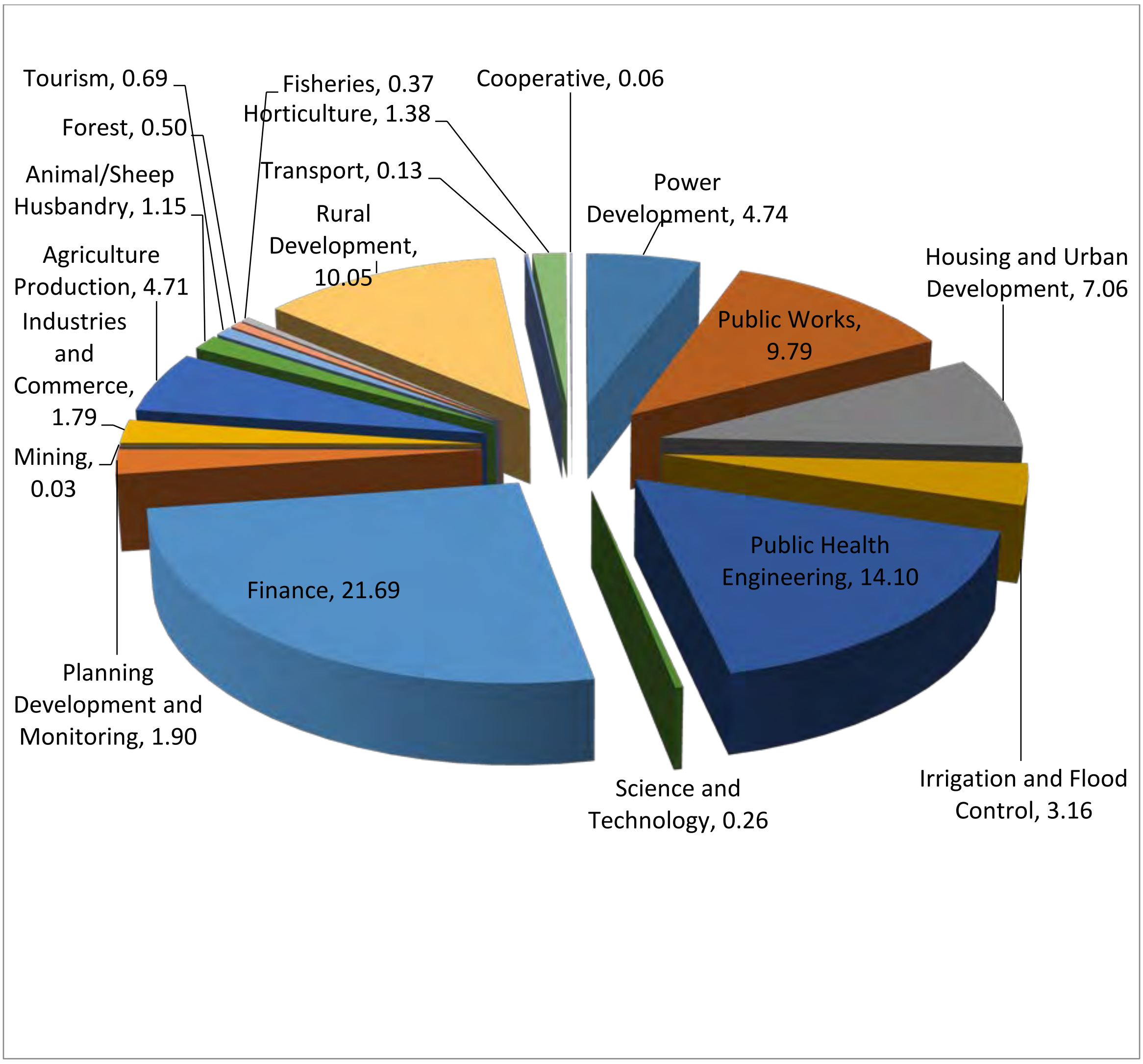

विभाग-वार समग्र राजस्वव्यय (%)
अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

ग्राफ: 25

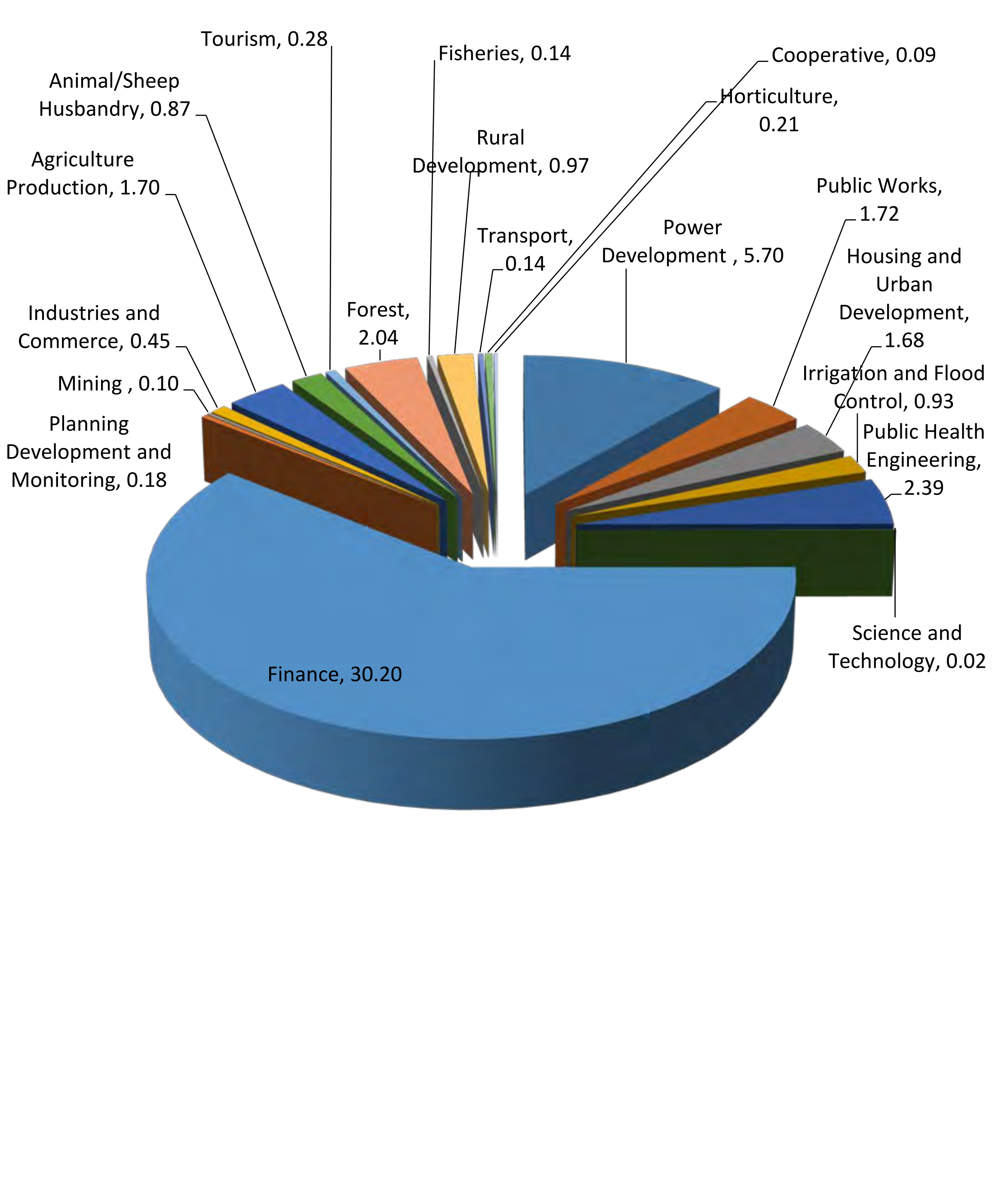

जीडीपी में सेक्टोरल निवेश का योगदान

ग्राफ: 26

(करोड़ रुपए में)

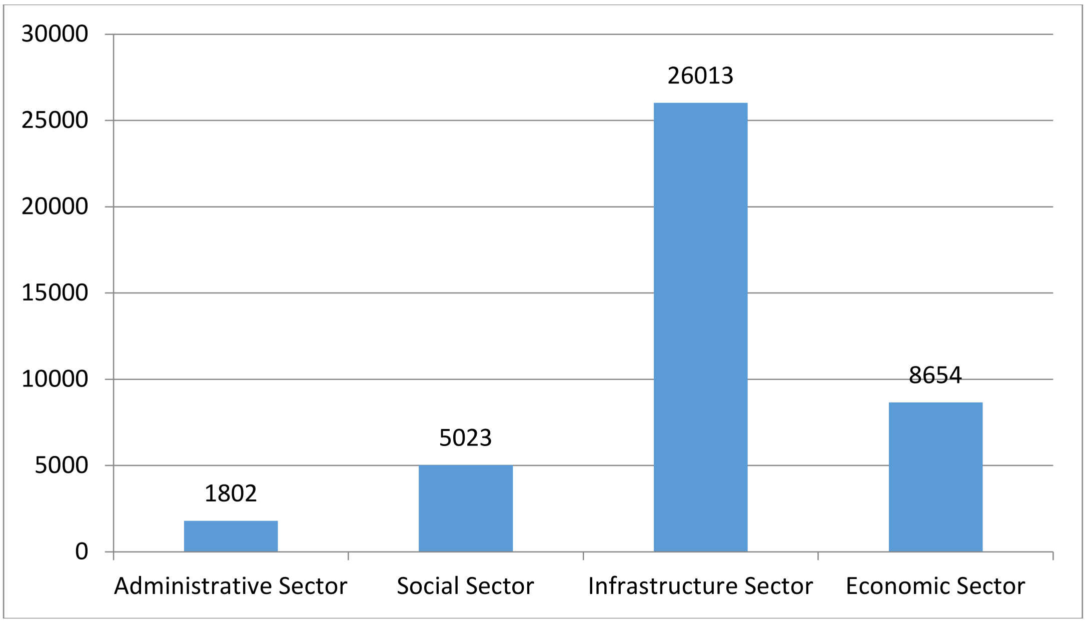

ग्राफ: 27 **%**

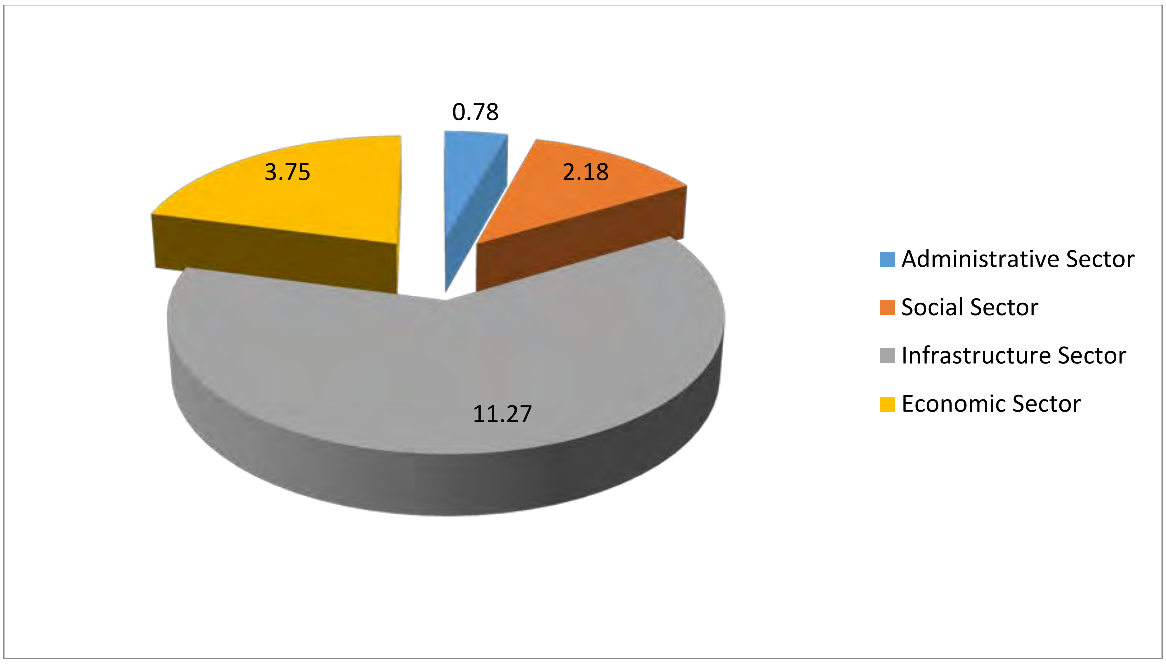

जीडीपी में विभाग-वार निवेश का प्रमुख योगदान

ग्राफ: 28

%

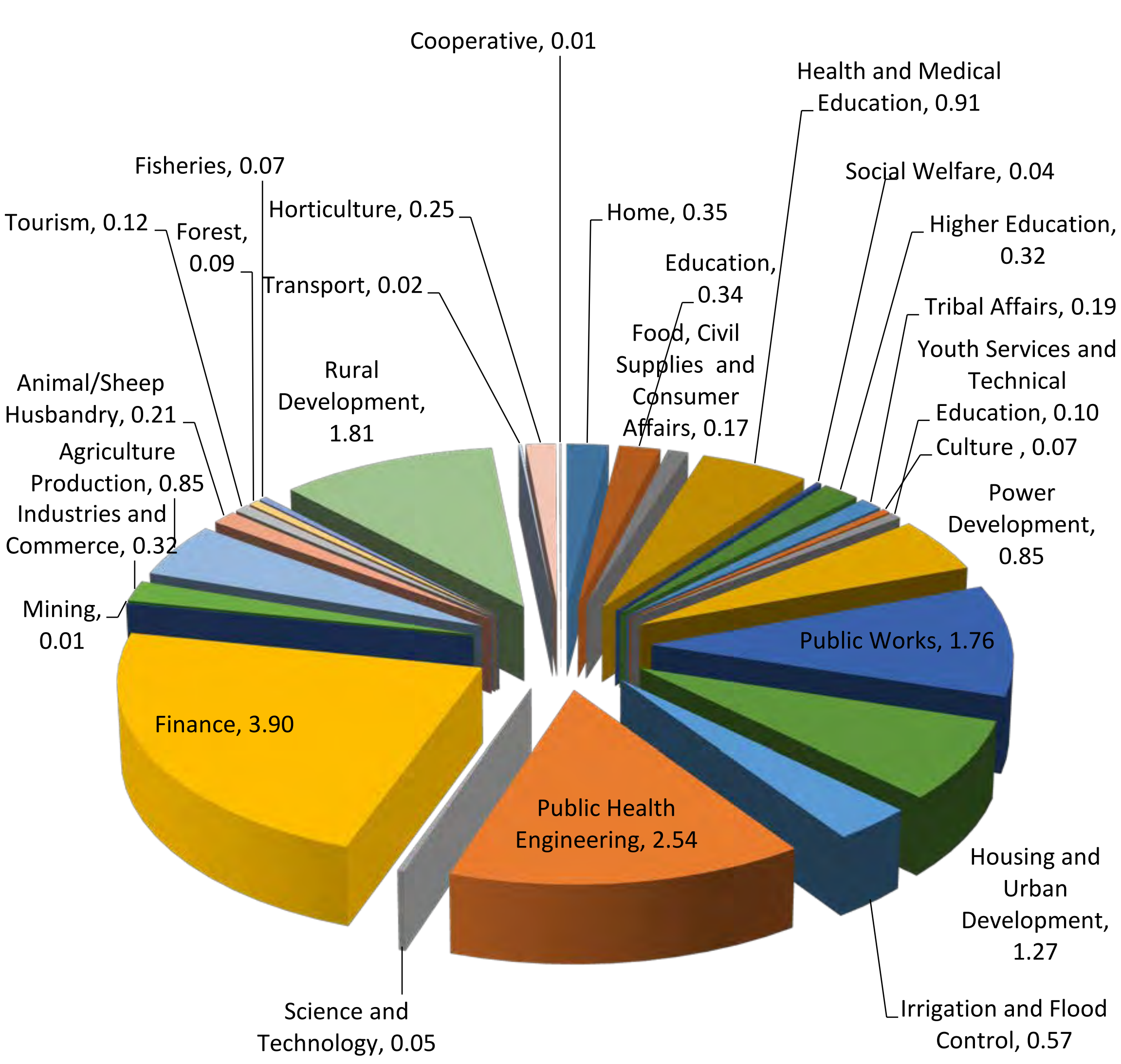

व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति : राजस्व और पूंजी
(बजट अनुमान 2022-23 से बजट अनुमान 2023-24)

ग्राफ 29 **%**

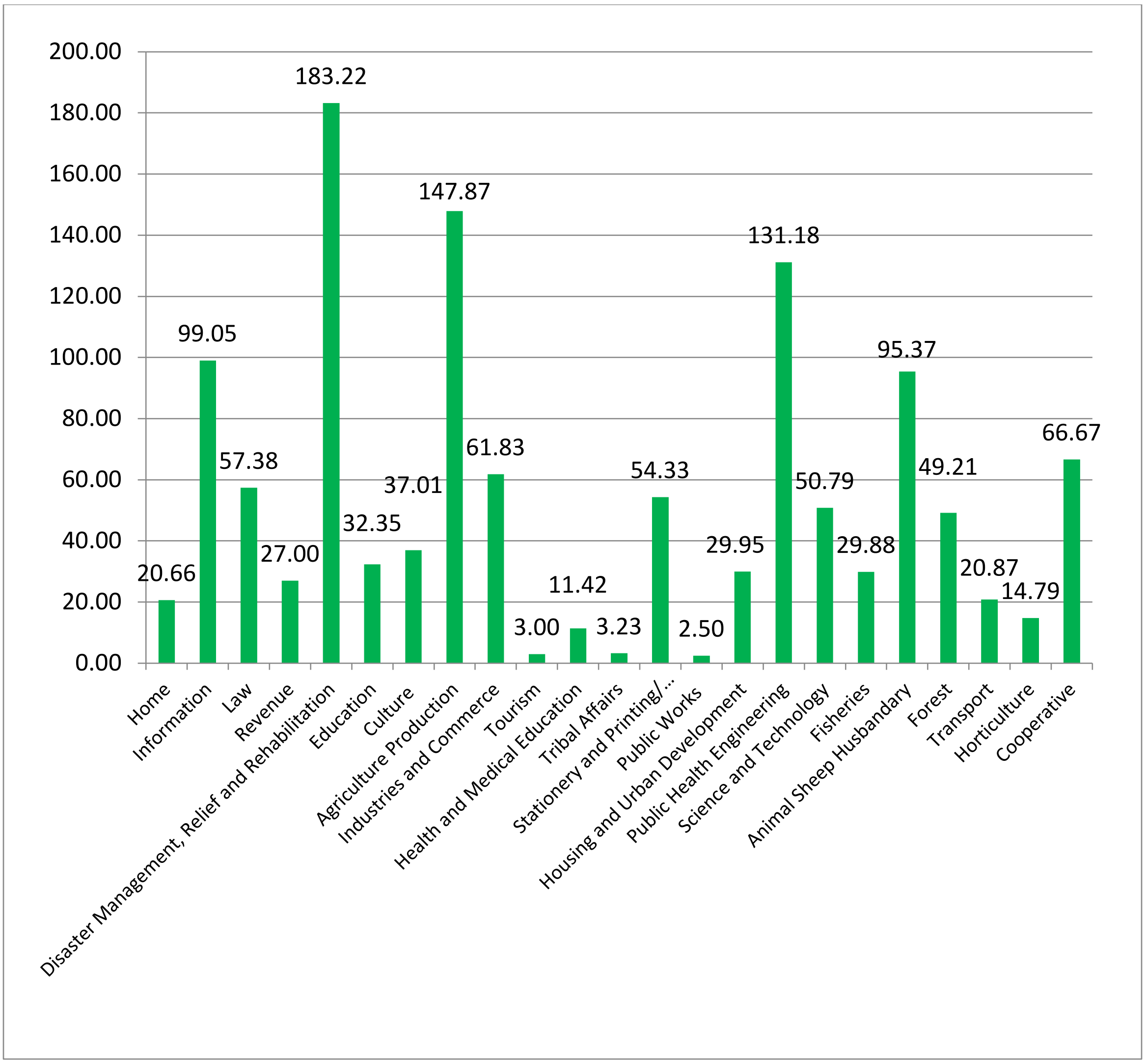

तालिका 10: पिछले 12 वर्षों में ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक ऋण	बीमा और पेंशन निधि	भविष्य निधि	अन्य दायित्व*	कुल देयताएं	मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी	जीडीपी की तुलना में कुल देयता का प्रतिशत
								आधार वर्ष 2004-05	
2010-11	*16535	2032	18567	358	6291	4756	29972	58073	52
								आधार वर्ष 2011-12	
2011-12	20789	1903	22692	384	8335	4845	36256	77945	47
2012-13	22796	1839	24635	454	9954	5205	40248	86537	47
2013-14	24715	1775	26490	505	11893	5758	44646	97400	46
2014-15	26525	1675	28200	602	14028	5484	48314	98367	49
2015-16	30452	1579	32031	671	16846	5798	55346	117168	47
2016-17	34018	1489	35507	775	18588	5803	60673	124848	49
2017-18	37418	1405	38823	909	20010	8462	68204	139659	49
2018-19	42222	1292	43514	974	25233	9340	79061	159859	49
2019-20	45465	1237	46702	1006	26156	9709	83573	164135	51
2020-21	52469	1302	53771	1085	27222	10875	92953	170201	55
2021-22	61212	1183	62395	1191	26521	11355	101462	195118	52

*   ओवर ड्राफ्ट की कमी के लिए 1300 करोड़ रुपए के डेब्ट को छोड़कर।

ऋण / जीडीपी अनुपात

ग्राफ: 30 **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण**

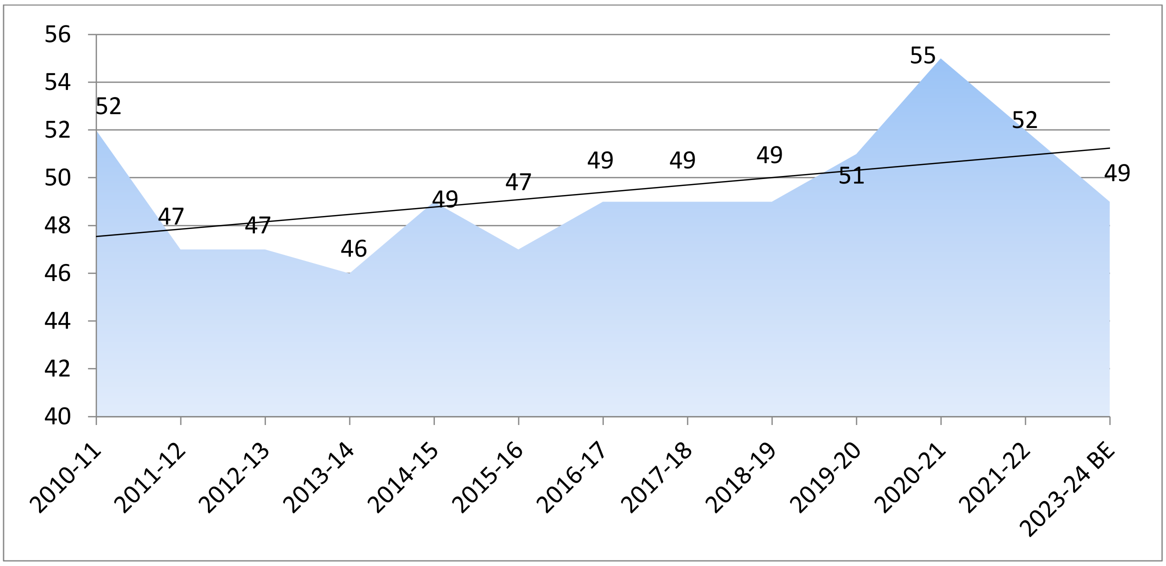

बजट : विभिन्न घटक

बजट के तीन भाग हैं :

1. समेकित निधि
2. लोक लेखा
3. आकस्मिक निधि

समेकित निधि सभी 'सामान्य' बजट लेन-देनों के लिए श्रोत है, चाहे ये लेन-देन पूंजी, राजस्व अथवा ऋण की प्रकृति के हों। कर और कर-भिन्न राजस्व को समेकित निधि में दर्ज किया जाता है तथा समेकित निधि से वहन किए जाने वाला कोई व्यय विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 'प्रभारित' प्रकृति के व्ययों को भी समेकित निधि से वहन किया जाता है।

समेकित निधि के भी दो भाग होते हैं :

a) राजस्व लेखा ; और
b) पूंजी लेखा।

राजस्व लेखा में वेतन, मजदूरी, रख-रखाव और मरम्मत, टेलीफोन व्यय, दिन-प्रतिदिन के कार्यालय से संबंधित व्यय तथा अन्य ऊपरी व्ययों जैसे रूटीन प्रशासन के संबंध में होने वाले व्यय शामिल होते हैं। परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय, जिनमें अधिकांश (किंतु सभी नहीं) योजनागत व्यय शामिल होता है, पूंजी लेखे में कवर होता है।

राजस्व प्राप्तियां वे समस्त आय होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त योजनाओं के वित्तपोषण तथा योजना-भिन्न अनुदानों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

पूंजी प्राप्तियों में आंतरिक ऋण, केंद्र से प्राप्त ऋण और निगमों, सहकारी समितियों आदि को अग्रिम रूप में दिए गए अपने स्वयं के ऋणों की वसूली शामिल होती है तथा इन्हें पूंजीलेखे में दर्ज किया जाता है। पूंजीलेखे के परिव्यय भाग में अपने स्वयं के निवेश परिव्यय और संवितरणों के सदृश्य व्यय होते हैं, जिनमें लोक ऋण की अदायगी तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं। इस प्रकार समेकित निधि के पूंजी और ऋण दोनों भाग पूंजी बजट के अंतर्गत आते हैं।

लोक-लेखा में वे निधियां शामिल होती हैं जिनका सरकार से संबंध नहीं है किंतु जिन्हें यह अन्य संस्थाओं के लिए विश्वास के रूप में रखती है। इसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित एवं मूल्यह्रास निधि, नगर निगमों से प्राप्त जमा, पेंशन निधि आदि शामिल होंगे। इसे सही रूप में ऐसी निधि कहा जा सकता है जिनके लिए यह बैंकर के रूप में कार्य करता है।

आकस्मिक निधि अपने नाम के अनुसार आकस्मिक प्रयोग के लिए निधि होती है। इसे बजट में सामान्यत जराक्रांत राशियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों के लिए शामिल किया जाता है। आकस्मिक निधि से व्यय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जा सकता है और अत: इसमें यह फायदा है कि बजट प्रक्रिया तथा विधायी अनुमोदन से छूट मिल जाती है; तथापि इस प्रकार हुए व्यय के लिए बाद में विधानमंडल की मोहर लगवाना अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि की मौद्रिक सीमा में बजट प्रक्रिया के माध्यम से कुछ वर्षों बाद वृद्धि की जाती है।

परिभाषाएं :-

1. **राजस्व प्राप्तियां** वे सभी अदायगियां होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के राजस्व (कर और कर-भिन्न), केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र सरकार से सांवधिक और गैर सांवधिक अनुदान शामिल होते हैं। इनमें ब्याज तथा सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश भी शामिल होता है।

2. **राजस्व व्यय** में वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज के भुगतान, रख-रखाव और मरम्मत जैसे सभी रूटीन प्रकार के प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें किराये के भुगतान, कर और अन्य स्थापना संबंधी व्यय जैसे ऊपरी खर्चे भी शामिल होते हैं।

3. **पूंजीप्राप्तियों** में बाजार से लिए गए ऋण, आरबीआई और अन्य संस्थाओं से ली गई उधार राशियां, एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्तियां और अपने स्वयं के ऋणों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल होती है।

4. **पूंजीव्यय** परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होता है। यह भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य सभी भौतिक अवसंरचना जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर निवेश परिव्यय के सुदृश होता है। ऐसे संवितरणों, जिनमें लोक ऋण तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम की अदायगी शामिल होती है, को भी पूंजीव्यय के रूप में लिया जाता है।

5. **विविध पूंजी** प्राप्तियों को गैर ऋण पूंजीप्राप्तियों के रूप में माना जाता है।

6. **प्राथमिक घाटा** वह राजकोषीय घाटा होता है जो राजस्व घटक के अंतर्गत ब्याज के भुगतान तथा ऋण की अदायगी का निवल होता है।

7. **राजस्व घाटा**, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

8. **बजट घाटा** कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है तथा मौद्रीकरण की अनुपस्थिति में इसे जीरो होना होता है। मोनेटाईजेशन रूट तक सरकार की कोई पहुंच नहीं होती है। इनके मामले में बजट घाटा जीरो होना चाहिए।

9. **राजकोषीय घाटा**, कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के बीच का अंतर होता है।

10. **वित्त विधेयक** में नए कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे में आशोधन अथवा मौजूदा कर ढांचे को विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित अवधि के बाद जारी रखे जाने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं।